न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर-जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी — श्री प्रमोदकुमार सिवाच आर.ए.एस.)

मिसल नं0 11/अपील/2018

दायरा 08/10/2018

उनवान

1. भूलीबाई पुत्री नेनगा जाति मीना निवासी धानौदाकला तह0खानपुर
2. नर्मदाबाई पुत्री गेन्दया जाति मीना निवासी मजबोरदा तह0 खानपुर
3. बरजीबाई पुत्री गेन्दया जाति मीना निवासी धानौदाकला तह0खानपुर
4. अमरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी सेवनी तह0 खानपुर
5. प्रभूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी सेवनी तह0 खानपुर
6. हरिराम पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना निवासी सेवनी तह0 खानपुर

— प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम्

1. प्यारेलाल पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
2. विरधीलाल पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
3. सीताराम पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
4. धन्नीबाई पुत्री कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
5. सुन्दरबाई पुत्री कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर (मृतक का0मु0)
   - 5/1 छीतरलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
   - 5/2 घनश्याम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
   - 5/3 परसराम पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
   - 5/4 मुकुट पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
   - 5/5 ज्ञानबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
   - 5/6 कालीबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
   - 5/7 गोप्याबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीना निवासी हींचर तह0 खानपुर
6. भूलीबाई पुत्री कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
7. सुमित्राबाई पुत्री कजोड़ जाति मीना निवासी रामपुरा तह0 खानपुर
8. मोहनलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
9. देवलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
10. द्वारकीलाल पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
11. लेखराज पुत्र गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
12. ज्यानाबाई पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
13. धन्नीबाई पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
14. धापूबाई पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
15. कालीबाई पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
16. नटीबाई पुत्री गोपाल जाति मीना निवासी धानौदाकलां तह0 खानपुर
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तह0 खानपुर

— अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेण्ट

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अपील बनाराजी इन्तकाल नं0 571 दिनांक 05/03/2018

उपस्थितः— श्री लक्ष्मणसिंह चौहान एडवोकेट – अपीलाण्ट
श्री लेखराजसिंह चन्द्रावत एडवोकेट – रेस्पोडेण्ड 1 लगा0 3
श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट – रेस्पोडेण्ड 10 लगा0 16

निर्णय

दिनांक 03/10/2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलाण्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम रामपुरा तह0 खानपुर की जमावंदी सं0 2073–76 के खाता सं0 नया 58 पुराना 62 की 8 किता रकबा 31.19 बीघा आराजी स्थित है, जिसमें से 7/12 हिस्सा पूर्व में नेनगा, गेन्दया पिता गनेश के शामलाती खाते व कब्जे काश्त का था। खातेदार नेनगा व गेन्दया की मृत्यु हो चुकी है। नेनगा के दो पुत्रियां भूलीबाई अपीलाण्ट नं0 1 व पुष्पाबाई थी, जिनमें से पुष्पाबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारीसान रेस्पो0 8 लगा0 16 हैं। इसी प्रकार गेन्दया के तीन पुत्रियां नर्मदाबाई अपीलाण्ट नं0 2, बरजीबाई अपीलाण्ट नं0 3 व जमनाबाई थी, जिनमें से जमनाबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान अपीलाण्ट 4, 5, 6 हैं। खातेदारान नेनगा, गेन्दया की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा नेनगा व गेन्दया का फौती इंतकाल नं0 571 दिनांक 05.03.2018 को तस्दीक किया गया, जिसमें पुश्त पर मृतकों के पारिवारिक सजरा अंकित है, परंतु ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने बिना किसी आधार व बिना किसी कानूनी प्रकिया के वारीसान का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खाते से खारिज कर दिया व सही वारीसान के स्थान पर प्यारेलाल, बिरधीलाल, सीताराम पिता कजोड़ का नाम खाते में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो पत्रावली पर उलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से काननून गलत है, जो निरस्त होने योग्य है। ऐसे में इंतकाल नं0 571 दि0 5.3.2018 ग्राम पंचायत भगवानपुरा को खारिज किया जाकर पुनः वारीसान की जांच कर इंतकाल की पुश्त पर वर्णित सजरे के अनुसार इंतकाल तस्दीक किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा। अपीलाण्ट ने जब पटवारी हल्का से अपने खो की आराजी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि उनका नाम वादग्रस्त आराजी से खारिज हो गया है। इसके बाद पटवारी हल्का से इंतकाल की नकल प्राप्त की व दिनांक 12.03.2018 को माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र के निर्णय होने में काफी लम्बा समय लगने की संम्भावना है। इसलिये अपीलाण्ट ने अविलम्ब अपील पेश की है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को माफ करने हेतू प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील अवधि मध्य माननीय न्यायालय में पेश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील में वर्णित ग्राम रामपुरा की खाता सं0 58 की 8 किता रकबा 31.19 बीघा आराजी में ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा खोला गया इंतकाल सं0 571 दि0 5.3.2018 को निरस्त फरमाया जावे व मृतक नेनगा, गेन्दया पिता गनेश के वारीसान की जांच कर उक्त वर्णित आराजी के 7/12 हिस्से में विरासत से अपील में वर्णित पारिवारिक सजरे के अनुसार इंतकाल खोला जाकर तस्दीक किया जाने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया। अपीलाण्ट 1 लगा0 3 की ओर से श्री लेखराजसिंह चन्द्रावत एडवोकेट एवं अपीलाण्ट 8 लगा0 16 की ओर से श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अपीलाण्ट नं0 6, 7, 17 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। दौराने सुनवाई रेस्पो0 नं0 5 सुन्दरबाई के फौत हो जाने पर इनके वारीसान रेस्पो0 5/1 लगा0 5/7 को पक्षकार बनाया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गया।

विद्धान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया है कि 8 किता की 31.19 बीघा आराजी में नेनगा, गेन्दया पुत्र गनेश का 7/12 हिस्सा था। खातेदार नेनगा, गेन्दया फौत हो चुके है। हम अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 8 लगा0 16 इनके वारीसान हैं। पटवारी हल्का भगवानपुरा ने मृतकों का फौती इंतकाल नं0 571 दर्ज किया है, जिसे ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने दिनांक 05.03. 18 को निर्णित किया है। ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने अपने आदेश हमें मृतक खातेदारान नेनगा, गेन्दया का वारीस भी माना है किन्तु यह उल्लेख करते हुये कि मृतक खातेदारान मीना जाति से होकर अनुसूचित जन जाति वर्ग/श्रेणी के हैं, जिनमें पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। मृतक नेनगा व गेन्दया व सहखातेदार प्यारेलाल, विरधीलाल, सीताराम के पिता कजोड़ सगे भाई हैं और भूमि पर जन्म से ही इनका कब्जा बताते हुये। मृतक नेनगा, गेन्दया के सम्पूर्ण हिस्से पर प्यारेलाल, विरधीलाल, सीताराम का नाम हिस्से बराबर से दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। इस इंतकाल को तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने मृतकों के वारीसान का पक्ष नहीं सुनकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन कर मनमाना निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त किया जावे। माननीय न्यायालय में उद्घोषणा के जैरकार वाद भूलीबाई बनाम् प्यारेलाल व मोहनलाल बनाम् भूलीबाई का इस अपील पर कोई प्रभाव नहीं है। हमारी अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल नं0 571 को निरस्त किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पो0 नं0 1, 2, 3 ने अपनी बहस में प्रकट किया कि इंतकाल नं0 571 ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने कौरम में निर्णित किया है, जो विधि सम्मत है। इन्ही पक्षकारान के मध्य भूलीबाई बनाम् प्यारेलाल वगैरह उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है, जिसमें स्टे जारी हो रहा है। एक वाद मोहनलाल बनाम् भूलीबाई भी जैरकार है। वहीं इस इंतकाल का रेफरेंस भी तहसीलदार खानपुर ने माननीय न्यायालय में पेश किया है, वह भी इस वाद के संलग्न है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा भी हो गया है। ऐसे में इस अपील का कोई औचित्य नहीं है। अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पो0 नं0 8 लगा0 16 ने अपनी बहस में प्रकट किया कि माननीय न्यायालय में जैरकार वाद मोहनलाल बनाम् भूलीबाई से अपील का कोई संबंध नहीं है। अपीलान्टगण एवं रेस्पो0 8 लगा0 16 मृतक खातेदार नेनगा व गेन्दया के वैध वारीसान हैं, जिन्हे फौती इंतकाल के निर्णय के समय ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा नहीं सुना गया है। हम अपील का समर्थन करते हैं। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अधिवक्ता उभय पक्ष की

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया। ग्राम रामपुरा की जमाबंदी सं0 2072–73 की खतौनी सं0 58 की 8 किता रकबा 31.19 बीघा आराजी में नेनगा, गेन्दया पिता गनेश जाति मीना निवासी धानौदा का हिस्सा बराबर में 7/12 हिस्सा दर्ज है। ग्राम रामपुरा में खातेदार नेनगा, गेन्दया का फौती नामा0सं0 571 दिनांक 16.02.18 को पटवारी हल्का भगवानपुरा द्वारा खोला गया है, जिसपर मृतक खातेदारान के वारीसान का विवरण दर्ज है। ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने अपने आदेश दिनांक 05.03.2018 में अपीलाण्टगण एवं रेस्पो0 8 लगा0 16 को मृतक खातेदारान नेनगा, गेन्दया का वारीस माना है, किन्तु इन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही इस इंतकाल को रेस्पो0 नं0 1, 2, 3 प्यारेलाल, बिरधीलाल, सीताराम के पक्ष में निर्णित किया है। ग्राम पंचायत ने अपने उक्त निर्णय में इस इंतकाल को कोरम में पेश होना अंकित किया है किन्तु इस पर सरपंच के अलावा कोरम के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत भगवानपुरा ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते मृतकों के वारीसान/अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। यहां ग्राम पंचायत का उक्त निर्णय मनमाना एवं विधि अनुसार नहीं होना पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, जिसे कानून सम्मत कतई नहीं माना जा सकता। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 8 लगा0 16 ने अपील का समर्थन किया है। वहीं विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 1, 2, 3 ने इस आराजी के संबंध में उद्घोषणा का वाद न्यायालय हाजा में जैरकार होना प्रकट करते हुये इसे खारिज करने का अनुरोध किया है, किन्तु यहां हमारा मत है कि कानूनन नामान्तकरण प्रकिया सिर्फ फिस्कल उद्धेश्य के लिये ही मान्य होती है, इससे किसी के अधिकार का निपटारा नहीं माना जा सकता है और न ही सह खातेदार एवं वारीसान के अधिकार समाप्त होते हैं। ऐसे में इस अपील का जैरकार वाद पर कोई प्रभाव नहीं है और यह अपील को निर्णित करने से रोकने का कोई आधार भी नहीं है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम रामपुरा का अपीलाधीन नामान्तरण सं0 571 दिनांक 05.03.2018 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण तहसीलदार खानपुर को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि वह मृतक खातेदारान नेनगा, गेन्दया पुत्र गनेश जाति मीना निवासी धानोदा के वारीसान सहित सभी हितबद्ध पक्षों को सुने, साक्ष्य–सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। तत्पश्चात प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह 30.10.2019 को तहसीलदार खानपुर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 03/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) ★

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 10:59:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: